

संख्या- 27/12/2010-एस.आर.एस.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
एस.आर. अनुभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली ।
दिनांक 5/8/2010

- 5 AUG 2010

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ ।

मुख्य सचिव,
उत्तरांचल सरकार,
देहरादून ।

1163/2010/SAS
6/8/10
1164/2010/SAS
6/8/10

विषय: श्री रतन सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय इन्टर कालेज, बड़ोवाला (जौलीग्रान्ट) देहरादून के दाम्पत्य नीति के आधार पर अभ्यावेदन पर राज्य परामर्शीय समिति की दिनांक 20 अप्रैल, 2010 को आयोजित 78 वीं बैठक में विचार


महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहना का निदेश हुआ है कि राज्य परामर्शीय समिति की दिनांक 20 अप्रैल, 2010 को आयोजित 78 वीं बैठक में श्री रतन सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय इन्टर कालेज, बड़ोवाला (जौलीग्रान्ट) देहरादून के दाम्पत्य नीति के आधार पर अभ्यावेदन पर विचारोपरांत पत्नी का विद्यालय अशासकीय होने तथा उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 04 फरवरी, 2009 सपटित अधिसूचना दिनांक 6 मार्च, 2009 एवं दिनांक 06 जुलाई, 2009 से प्रकरण आच्छादित न होने के कारण राज्य परामर्शीय समिति द्वारा अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने की सिफारिश की है ।

समिति द्वारा इस मामले में जो संस्तुतियों की गई उन्हें भारत सरकार द्वारा दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत मान लिया गया है । श्री रतन सिंह, सहायक अध्यापक के उत्तराखण्ड राज्य में बनाये रखने का निर्णय लिया गया है ।

कृपया संबंधित अधिकारी को इस निर्णय से अवगत करा दिया जाए ।


भवदीय


(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

1165/2010/SAS
6/8/10

1166/2010/SAS
6/8/10

1. श्री आर.एम. श्रीवास्तव, प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, लखनऊ ।
2. श्री सुभाष कुमार, प्रधान सचिव, उत्तराखण्ड पुनर्गठन समन्वय विभाग देहरादून ।


AUG 2010
- 5 AUG 2010